

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-
प्रविष्टि दिनांक:-

78 / 2016
27-06-2016

श्योजीराम पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी डोरिया तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज०)
..... अपीलाण्ट

बनाम
तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक (राज.)

..... रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार मालपुरा
दिनांक 22-09-2015 मिसल संख्या 971/15

उपस्थित: (1) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंड

निर्णय

दिनांक 17-11-2017

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दिनांक 22.09.2015 द्वारा ग्राम डोरिया तह० मालपुरा के खसरा नम्बर 45/1 रकबा 53:13 बीघा भूमि किस्म चरागाह में से 0:10 बीघा पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 50/-रु० पेनल्टी आरोपित की है तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन की जाकर अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली को मंगवाया गया।
3. अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजों में नकल निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 22.9.2015 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट ने खसरा नंबर 45/1 चरागाह भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं किया है, अतिक्रमण का जो प्रकरण दर्ज हुआ उसकी सूचना भी अपीलाण्ट को नहीं दी गयी है, अपीलाण्ट की गैर हाजरी में व अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये उक्त निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये, नोटिस में व आर्डर सीट में तारीख पेशी में कांट छांट की गयी है। निर्णय जो पारित किया गया है वह साईक्लोस्टायल पर प्रिन्ट किये गये खाली पेपर पर खाली जगहों में भरकर दिया है जो किसी भी रूप में निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। निर्णय से अतिक्रमी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी साबित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक



5. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलाण्ट्स द्वारा पूर्व में भी विवादित भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया था। सम्वत 2072 में पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो बयान पटवारी हल्का एवं नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2067 से पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.15 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का तुन्देडा ने अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में ख0न0 45/1 रकबा 51:13 में से 0:10 बीघा भूमि किस्म चरागाह वाके ग्राम डोरिया तह0 मालपुरा पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व बाडा बनाकर किये गये अतिक्रमण पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर तहसीलदार मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.15 द्वारा अपीलाण्ट को विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलाण्ट को पूर्व में किस ख.नं0 की कितनी भूमि से पूर्व में कौन से वर्ष में किस मिसल नम्बर द्वारा कब बेदखल किया गया। पत्रावली में धारा 91 के नोटिस में किस वर्ष में भूमि पर अतिक्रमण करने या किस वर्ष में पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है का भी उल्लेख नहीं है, बयान पटवारी हल्का में भी अपीलाण्ट को भूमि से कब भौतिक रूप से बेदखल किया था अथवा किस वर्ष अतिक्रमण किया था का अंकन नहीं है। भौतिक रूप से बेदखल करने के सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निर्णय से यह सिद्ध नहीं होता है कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है या उसे पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हो। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पत्रावली भी संलग्न नहीं की गई है और न ही बेदखलीनामा पत्रावली में संलग्न है। धारा 91 के नोटिस पर अपीलाण्ट की प्रोपर तामील नहीं कवाई गई है। उक्त तथ्यों से यह जाहिर होता है कि सिविल कारावास जैसी कठोर सजा देने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 22.09.2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त सिविल जज
टोंक टोंक राज0

